प्रेषक,

प्रभात कुमार श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 20 मार्च, 2015**

विषयः- जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (प्रशासन) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-जी0ओ0-118/लेखा/डी0आर0डी0ए0/2015 दिनांक 04 मार्च, 2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, प्रशासन योजनान्तर्गत जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कार्मिकों की वेतन की समस्या के दृष्टिगत रू0 36.65 करोड़ का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- अतः शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त जिला ग्राम्य विकास अभिकरण में कार्यरत कार्मिकों के वेतन की समस्या के दृष्टिगत रू0 26,69,32,200/- केन्द्रांश एवं रू0 8,89,77,400/- राज्यांश कुल धनराशि रू0 35,59,09,600/- (रू0 पैतीस करोड़ उन्सठ लाख नौ हजार छः सौ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-795/दस-2014-231/2014 दिनांक 14 मार्च, 2014 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-2457/दस/2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 में निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष आहरण एकमुश्त न कर आवश्यकतानुसार किया जाय।

4- उक्त धनराशि की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा इस शर्त के अधीन प्रदान की जा रही है कि डी0आर0डी0ए0 प्रशासन में भारत सरकार से आगामी वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाली धनराशि से प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी।

5- उक्त धनराशि के व्यय हेतु मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। योजनान्तर्गत धनराशि का आहरण केन्द्रांश एवं राज्यांश की सीमा तक किया जायेगा तथा आहरण में वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। आहरित धनराशि का व्यय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन मद योजनान्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा। धनराशि के आरहण-वितरण के लिए सम्बन्धित जनपदों के वरिष्ठ लेखाधिकारी, वित्त नियंत्रक व लेखाधिकारी यथास्थिति पूर्णतया जिम्मेदार होंगे। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है, तो इसकी सूचना तत्काल आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग को दे दी जायेगी।

-2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6- केन्दांश एवं राज्य की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य सरकार एवं भारत सरकार को समयान्तर्गत प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त धनराशि दिनांक 31 मार्च, 2015 को समर्पित कर दी जायेगी।

7- इस सम्बन्ध में होने वाला वयय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2501-ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01 समेंकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-02 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-0202-जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (के.75/रा.25-के.+रा.)-31 सहायता अनुदान-सामान्य) (वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-795/दस--2014-231/2014, दिनांक 14-03-2014 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-2457/दस/2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह॰प्रभात कुमार श्रीवास्तव॰
संयुक्त सचिव।

संख्या- 5/2015/डी-101**/(1)/38-2-2015 तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखा (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उ0प्र0।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2/राज्य योजना आयोग-1/2 तथा नियोजन अनु0-3
6- ग्राम्य विकास अनु0-3
7- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।